

नयी लाइनों का सर्वेक्षण हो चुका है, उनके नियमणि के बारे में विचार होगा या नहीं या यदि होगा भी तो कब क्योंकि यह यातायात के प्रोचित्य और धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

### रेलवे दुर्घटनाएं

8976. श्री टी० पी० शाह :

श्री कंवर साल गुप्त :

क्या रेलवे मन्त्री रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में 16 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7286 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने रेलवे कर्मचारी दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार पाये गये और उनमें से कितने कर्मचारियों के विश्व कार्यवाही की गई है?

रेलवे मन्त्री (श्री श्री० पु० पुनाचा) : 10-10-67 से 31-12-67 की अवधि में भारतीय रेलों पर गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों का पटरी से उत्तर जाना, समपारों पर गाड़ियों की सड़क यातायात से टक्कर और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 265 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं। इन दुर्घटनाओं में 295 रेल कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया।

188 अविक्तियों के विश्व अनुशासनात्मक कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और अन्य लोगों के विश्व अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है।

### सरकारी उपकरणों के अध्यक्ष

8977. श्री टी० पी० शाह :

श्री कंवर साल गुप्त :

व्या प्रोद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री केशव देव मालवीय ने एक सरकारी कारखाने का अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की सभाओं/बैठकों में भाग लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वे व्यक्ति जो सरकारी उपकरणों के अध्यक्ष हैं या किसी अन्य पद पर काम कर रहे हैं राजनीति में भाग ले सकते हैं;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई नियम बनाये हैं और यदि हाँ तो उनका व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे सभी अविक्तियों से राजनीतिक दलों से त्यागपत्र देने के लिये कहा है?

प्रोद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री कल्पदेव असी अहमद) : (क) सचर है कि राज्यकांग्रेस कमेटी के अनुरोध पर 24 मार्च, 1968 को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के चेयरमैन श्री केशव देव मालवीय ने कमेटी की एक बैठक में भाग लिया था।

(ख) से (घ). कारपोरेशन की आचरण संबंधी नियमावली के अनुसार कारपोरेशन का कोई कर्मचारी न तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य ही बन सकता है और न किसी राजनीतिक आन्दोलन अथवा गतिविधि को प्रोत्साहन ही दे सकता है। श्री मालवीय कारपोरेशन के अवैतनिक चेयरमैन हैं और उपर उल्लिखित आचरण संबंधी नियम उन के ऊपर लागू नहीं होते।

राज्य व्यापार नियम के अधिकारियों के लिये निवास तथा भोजन की व्यवस्था

8978. श्री टी० पी० शाह : क्या शारिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार नियम ने अपने अधिकारियों के लिये जब वे विदेश जायें तो निवास तथा भोजन की व्यवस्था के लिये कोई नियम बनाये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनको केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भूमि से अधिक भत्ते दिये जाते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नियम